Title: Introduction of the Freedom of Religion (Removal of Restrictions) Bill, 2000.

15.42 hrs.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for removal of undue restrictions on freedom of religion.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for removal of undue restrictions on freedom of religion ".

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक जिन दो अधिनियमों का निरसन करने से संबंधित है, वह संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 26 में साफ तौर पर लिखा है कि "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोाण का अधिकार है।"

माननीय सदस्य ने इस विधेयक को यहां इंट्रोड्यूस करना चाहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे उदाहरण आए जहां दो राज्यों में ही नहीं बल्कि तीन राज्यों में यह विधेयक बना। राजस्थान में 1954 में, मध्य प्रदेश में 1984 में और पश्चिम बंगाल में 1985 में यह अधिनियम बना था। इसके पीछे कारण महत्वपूर्ण हैं। मुझ जैसा व्यक्ति जो सन्यासी हो और ऐसे विधेयक का विरोध कर रहा हो तो सब जगह इसका विरोध होना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत सी जगहों पर धार्मिक स्थलों का दुरुप्योग हुआ, उनकी सम्पत्ति का दुरुप्योग हुआ जिसे रोका जाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक अधिनियम विधान मंडल से पास करके भेजा गया लेकिन कुछ गलतफहमी फैलाई गई। यह अधिनियम केवल एक सम्प्रदाय विशे के लिए नहीं है यानी भारत में रहने वाले किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले व्यक्ति पर यह बराबर लागू होगा। इस विधेयक से एक वर्ग विशे को क्यों आपत्ति हो रही है? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित निर्माण और उप्योग के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। जो कानून राजस्थान, मध्य प्रादेश और पश्चिम बंगाल में बने हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण रहे हैं। विधि में विद्यमान कानून के अन्तर्गत उन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई इस प्रकार का कानून नहीं है, इसलिए उन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश. राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने कानून बनाए, उसी प्रकार अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए।

बहुत से क्षेत्रों में हबीब बैंक द्वारा मदरसों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है। खास तौर से भारत नेपाल सीमा के आसपास के क्षेत्रों में दिया जा रहा है। इन मदरसों का काम इस्लामी तालीम देना है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वस्तुतः मदरसे इस्लामी आतंकियों के संरक्षण, प्रशिक्षण के अड्डे हैं। अनेक मदरसों में आतंकवादी बनाने के कारखाने चल रहे हैं। वहां लश्कर-ए-तोइबा, हरकत-उल अंसार, अल वर्क तंजीम. तंजीम-उल-जेहाद, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। वहां इन संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

* *Published in the Gazette of India Extraordinary,Part-II,Section 2 dt.28.7.2000

सभापति महोदय, मैं भारत-नेपाल सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों में जिस प्रकार से अनियंत्रित निर्माण हुये हैं और जिस प्रकार से उन धार्मिक स्थलों का दुरुप्योग हुआ है, उससे पता चलता है कि नेपाल सीमा से लगे जनपदों में 121 नये मदरसे बने हैं और 146 नई मस्जिदें बनी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र से लगे महाराजगंज जनपद में 24 नये मदरसे, 32 नई मस्जिदें बनी हैं. सिद्धार्थनगर जनपद में 22 नये मदरसे, 26 नई मस्जिदें, बलरामपुर में 25 नये मदरसे और 27 नई मस्जिदें, बहराइच में 26 नये मदरसे और 22 नई मस्जिदें, और लखीमपुर में 17 नये मदरसे और 10 नई मस्जिदें बनी हैं। इसी प्रकार से अन्य सीमवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। माननीय सदस्य श्री बनात्वाला ने जो विधेयक यहां पेश किया है, मैं इसलिये पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह केवल एक धर्म सम्प्रादाय के लिये नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिये हर सम्प्रदाय पर बराबर लागू होता है जबकि इस विधेयक से ईसाई, सिक्ख और हिन्दू सम्प्रदाय को कोई आपत्ति नहीं है तो केवल किसी एक वर्ग विशे को इस पर आपत्ति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों का दुरुप्योग हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री जी.एम. बनात्वाला (पोन्नानी): चेयरमैन साहब, मैं इज्जतमाब रुक्न का एहतराम करता हूं। बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वे शायद बिल को समझ नहीं पाये और जो कुछ भी कहना चाहते थे , सारा मसाला कहां कहां से लाकर इधर डाल दिया गया है जिसका इस बिल से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तो सीधी-सीधी बात है और आर्टिकल 25 मज़हबी आजादी के कुछ हकूक कायम करता है। इसके साथ कमियों की कोई बात पैदा नहीं होती। ये जिक्र कर रहे थे कि मज़हब की तबदीली, जब्र- फोर्स- या लालच-एल्योरमेंट- से मुत्तालिक है जबकि मेरे बिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक फोर्स का ताल्लुक है कि अगर फोर्स से या लालच से मजहब की तबदीली हो रही है तो उसके लिये हमारे पास इंडियन पेनल कोड मौजूद है जिसके अंदर हमें जो कार्यवाही करनी है, वह की जा सकती है। उससे मेरे बिल का कोई ताल्लुक नहीं है। यह बिल मजहबी आजादी, उसकी तबलीग - प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन - अब उसके कुछ ऐसे कानून हैं जो रिलीजन प्रोपोगेशन करने में आड़े आते हैं। अगर कोई खुदा का खौफ दिखाता है तो कहा जाता है कि यह फोर्स है। अगर कोई जन्नत की बात करता है तो उसे कहना कि यह लालच है, ये कोई अजीब से कवानीन हैं। जहां तक फोर्स या एल्योरमेंट का सवाल है, उसके लिये आई.पी.सी मौजूद है। आनरेबल मैम्बर ने जो कुछ कहा है, वे उसमें समा सकती हैं लेकिन मेरे बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मैं आनरेबल मैम्बर से कहूंगा कि वे गलतफहमी और नासमझी में कुछ बातें यहां पर लाये हैं।

चेयरमैन साहब, मैं 100 फीसदी इस बात से इत्तफाक रखता हूं कि There is a difference of opinion कि फोर्स या एल्योरमेंट से किसी किस्म की कोई मजहबी तबदीली नहीं होनी चाहिये और कोई मज़हब इन बातो को गवारा भी नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा कि आई.पी.सी.और दूसरे कवानीन मौजूद हैं लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई रुकावट खामख्वाह प्रोपोगेशन आफ रिलीजन के अंदर नहीं होनी चाहिये, यह मेरे बिल का मतलब है।

बाकी तमाम बातें इन्होंने कहीं कि कुछ रुपया बाहर से आ रहा है और वह लालच बगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप कार्रवाई करो इंडियन पीनल कोड और तमाम कानून मौजूद हैं, जहां-जहां चाहे कार्रवाई करो, कोई उसे रोकता नहीं है। ख्वाह-मख्वाह उसे लेकर इस बिल के साथ जोड़ देना मुनासिब नहीं है, गलतफहमी पर है। लिहाजा मैं ऑनरेबल मैम्बर और इस ईवान से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पेश करने की इजाजत दी जाए।

*m05

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): I have to inform the House that the Chair does not decide whether a Bill

is constitutionally within the legislative competence of the House or not. The House also does not take a decision on specific question of v*ires* of a Bill. The Chair also does not decide whether a Bill is *ultra vires* of the Constitution or not.

In the circumstances, I put the question before the House.

The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for removal of undue restrictions on freedom of religion."

The motion was adopted.

SHRI G.M. BANATWALLA : I introduce the Bill.